(28)

माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी निग० 59-III-15

1– बापूलाल पिता जवाहरलाल, आयु–45 वर्ष
जाति–आंजना, व्यवसाय–खेती

2– अनन्तनारायण पिता पन्नालालजी मृतक
द्वारा वारिसान :–

अ– सुरेशचन्द्र पिता अनन्तनारायण, आयु–55 वर्ष,

ब– कैलाशचन्द्र पिता अनन्तनारायण, आयु–52 वर्ष,

स– चन्द्रशेखर पिता अनन्तनारायण, आयु–50 वर्ष,

द कंचनबाई विधवा अनन्तनारायण, आयु–75 वर्ष,

निवासीगण–माल्याखेरखेड़ा ––––आवेदक

विरूद्ध

किशनलाल पिता भैरूलाल, आयु–35 वर्ष
व्यवसाय–अध्यापक निवासी–माल्याखेरखेड़ा
परगना व जिला मन्दसौर ––––अनावेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री कैलाश जोशी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 7-1-15
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 158/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 25/11/2014 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर उक्त निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत अन्दर अवधि प्रस्तुत है ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदकगण की ओर से निगरानी का ज्ञापन निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–4–7 सात–2 ए/दिनांक 02–03–200 के अनुसार जिन ग्रामों में सुरक्षित चरनोई की भूमि 2 प्रतिशत से अधिक है उसकी नोईयत परिवर्तन (का.का.) कराकर तथा जहां सुरक्षित चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत से कम है तथा कृषि योग्य भूमि अन्य मदों में दर्ज है उसे का.का. घोषित कराई जाकर ग्राम के भूमिहीन, कृषक मजदुर जो अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य है

निरन्तर......2

(1)

XXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

बापूलाल आदि / किशनलाल

प्रकरण कमांक निग0 59–तीन / 15 **जिला –मंदसौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/3/2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 158 / 2011–12 / अपील में आदेश दिनांक 25–11–2014 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है भूमिहीनों के सर्वे उपरांत नायब तहसीलदार मंदसौर द्वारा ग्राम माल्याखेरखेड़ा की भूमि सर्वे नं 671 में से 0.500 हे0 भूमि अनावेदक और उसके पिता को आवंटित कर दी । आवेदक द्वारा इस पर नायब तहसीलदार को शिकायत प्रस्तुत की जिसकी जांच के दौरान अनावेदक के पिता भेरूलाल ने दिनांक 11–8–2010 को पट्टे की छायाप्रति प्रस्तुत की । आवेदक को पट्टे की जानकारी प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की । साथ में धारा–5 अवधि विधान का आदेश पारित किया । परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपील अवधि वाह्य एवं नियम विरूद्ध मानकर निरस्त कर दी । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से असन्तुष्ट होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को प्रस्तुत की । परन्तु अपर आयुक्त, द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित मानते हुए अपील सारहीन मानते हुए निरस्त कर दी । अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की	

गई है । आवेदक अभिभषक द्वारा यह तर्क दिया गया कि अनावेदक को पट्टा प्रदान करने के पूर्व तहसीलदार द्वारा विधिवत इस्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया न ही ग्राम में डोडी का ऐलान भी नहीं किया गया । इसलिये आवेदक को पट्टा प्रदान करने की जानकारी दिनांक 11–8–2010 को हुई । जब शिकायत की जांच करने पर अनावेदक द्वारा पट्टे की छायाप्रति प्रस्तुत की गई । जिस भूमि का पट्टा दिया गया है वह गोहा की भूमि है जो पशुओं के आने जाने का मार्ग गोहा होकर निस्तार प्रयोजन हेतु सुरक्षित है तथा चरनोई भूमि के अतंर्गत नहीं आती । विचाराधीन भूमि सर्वे क. 671 के दक्षिण पर आवेदक का 40–50 वर्षो से कुंआ खुदा है । जिससे आवेदक अपनी भूमि सर्वे क. 677 पर सिंचाई करता चला आ रहा है । अनावेदक को दिनांक 30–7–2002 को पट्टा प्रदान किया गया। परन्तु अनावेदक ने भूमि पर कब्जा लेने की कोई कार्यवाही नहीं की । पट्टे में काटपीट की गयी है तथा भूमि के सर्वे नं0 एवं भूमि का क्षेत्रफल दोनों में काटपीट की गयी है । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया तथा अपील को समयावधि के आधार पर खारिज कर दिया ।

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की छायाप्रति का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि पर आदेश करने के साथ ही विचाराधीन भूमि के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख भी देखा । जिसमें यह पाया की अनावेदक को विचाराधीन भूमि का आवंटन नियमानुसार किया है तथा आवंटित की गई भूमि के सर्वे नं0 के शेष क्षेत्रपर आवेदक कमांक –2 ने अतिकमण कर कुंआ खुदवा रखा है ।

विचाराधीन भूमि शासकीय भूमि के पास ही आवेदक के खाते की भूमि लगी हुई है । उसी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिये अनावेदक को पट्टा देने के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है । इसलिये अपील निरस्त की । अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है । दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है एवं पूर्ण विचार उपरांत आदेश किया है । जिनमें कोई अवैधानिकता नहीं दिखाई देती । निगरानी ग्राह्य करने का कोई वैधानिक आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।

सदस्य